



प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उOप्रO शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उOप्रO, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर फाइटिंग सिस्टम के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमOईO/निर्माण/2025-26/488, दिनांक 30.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर फाइटिंग सिस्टम के कार्य हेतु रूO 2034.80 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए पीOएफOएOडीO से मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण कराकर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनेका निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में फायर फाइटिंग सिस्टम के कार्य हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रूO 1958.12 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 4210-03-105-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रूO 300.00 लाख (रूO तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्त/प्रतिबन्ध-

1. प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
2. वित्त विभाग के शासनादेश संO-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
3. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021- 10/99 दिनांक 22 मार्च, 2021 का यथा आवश्यकतानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा प्रायोजना की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जायें।
 4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाये।
 5. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में आकस्मिक व्यय मद में प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका में अनुमन्य मदों पर ही नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
 6. प्रायोजनान्तर्गत सम्मिलित बॉट आउट आइटम्स के मूल्यांकन के सम्बन्ध में वित्त लेखा, अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-9/2022/ए-1-357/दस/2022-10(55)/2000, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के प्राविधानों का पूर्ण रूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
 7. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित कराये। साथ ही प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं०-2/2022 / ई-8-202 / दस-2022 दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
 8. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग इत्यादि सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड/अन्य सम्बन्धित कोड के अनुरूप हैं।
 9. प्रायोजनान्तर्गत नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 10. प्रायोजना का गठन कार्यालय प्रमुख आभियंता, उ०प्र०, लाक निमाण विभाग (भवन वर्ग) के पत्रांक-272 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2023 दिनांक 10-10-2023 तथा पत्रांक-294 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2023 दिनांक 26-10-2023 के द्वारा डी०एस०आर० की दरों में फैक्टर/कास्ट इन्डेक्स एवं कार्यालय प्रमुख अभियंता, उ०प्र० के कार्यालय ज्ञाप सं०-249 कैम्प/मु०अभि० (भवन)/2025, दिनांक 11-07-2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दरों में 3 प्रतिशत की वृद्धि का समावेश करते हुए आगणन का गठन किया गया है। कतिपय ऐसी कार्यमर्दे उक्त दरों में उपलब्ध नहीं है, उन्हें बाजार दरों/कोटेशन के आधार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- पर प्रस्तावित की गयी है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत प्रधानाचार्य/ कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
11. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि से 12 माह में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय। प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
 12. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित वाह्य विद्युत संयोजन के लोड हेतु विद्युत विभाग से प्राप्त आगणनानुसार रू0 5.00 लाख की धनराशि सम्मिलित की गयी है। प्रभाग का मत है कि प्रशासकीय विभाग द्वारा विस्तृत आगणन यू0पी0पी0सी0एल0 के सक्षम स्तर से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाये। वाह्य विद्युत संयोजन मद में वास्तविक धनराशि देय होगी।
 13. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था का होगा।
 14. प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानों को यथावत मानते हुये प्रायोजना का परीक्षण किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 15. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 16. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों तथा प्रायोजना को निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
 17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययवर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
 18. अवमुक्त की जा रही धनराशि को बैंक एवं डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।
 19. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज दिया जायेगा।
 20. आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन अनुमन्य होगी कि श्रम विभाग का उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

21. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 (रुपये तीन करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031057200 राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-400/दस-2025-26 दिनांक 17 मार्च, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7. प्रबन्ध निदेशक, 30प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 30प्र0 शासन।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, 30प्र0 शासन।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।